IV 17/13

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 974723

# द्वारिका सिंह शिक्षण–प्रशिक्षण एवं सेवा संस्थान

स्टाम्प कीमती मु0–430/–

न्यास विलेख–05-2-2013 ई0

यह न्यास–विलेख आज दिनांक–05–02–2013 को रवीन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री शिव शंकर सिंह निवासी–ग्रा0 व पो0–दाउदपुर, विकासखण्ड–अकबरपुर, तहसील–अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर, उ0प्र0 द्वारा घोषित किया गया है।

जिसे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा, क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक रू0–5100/– (पॉच हजार एक सौ रूपये) की राशि है। जिसे की वह पुरूषार्थ सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट द्वारिका सिंह शिक्षण–प्रशिक्षण एवं सेवा संस्थान के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा। जिसे आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा क्योकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा । जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जायेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनो को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और

Ravindra Kumar Singh

१११२०
०५-०२-२०१३

१००

रवीन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री शिवशंकर
निवासी ग्राम व पो० दाउदपुर जि०
के ह० अंगुष्ठ [illegible]
[illegible] न्यास विलेख

रामसागर
०५-०२-१३

स्टाम्प विक्रेता
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AA 398202



न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रू0 5100/– (रू0 पॉच हजार एक सौ) की नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम व पोस्ट–दाउदपुर, अम्बेडकरनगर (उ0प्र0) होगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा । न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है।

**द्वारिका सिंह शिक्षण–प्रशिक्षण एवं सेवा संस्थान**

(इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट–1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

**उद्देश्य एवं नियमावली–**

1–**ट्रस्ट का उद्देश्य**–ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा–

1– बिना लिंग, भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयो, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, बृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावास, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना, नामकरण विकास सम्बद्ध, आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानो, संस्थाओं, शासन आदि से उन मान्य सम्बद्ध पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।

2– ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।

3– खादी ग्राम्योद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।

Ravindra Kumar Singh

20)

स्टा० नं० ७१२० दिनांक

सहायक

मार्शल नं०- 301

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AA 398203

(3)

4– कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नमी संरक्षण करना।

5– उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।

6– महिला, बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम का संचालन करना।

7– प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

8– कृषि, संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

9– केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नावार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेल–कूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम्य विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।

10– आई0आई0टी0, आई0टी0आई0, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, ऑपरेशन टेक्नीशीयन, लैब टेक्नीशीयन, फिजियोथिरेपी आदि मेडिकल कालेजों, इन्जीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

11– समाज के लोगों के लिए हास्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाइपिंग, कम्पनी एवं फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।

12– पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण एवं विक्री तथा मूल्य का निर्धारण करना।

13– अंधे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।

Ravindra Kumar Singh.

यास पत्र

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5,100.00 | 60.00 | 100 | 160.00 | 5,000 |
| न्यास की राशि | फीस रजिस्ट्री | नकल व प्रति शुल्क | योग | शब्द लगभग |

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह

पुत्र श्री शिव शंकर सिंह

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी दाउदपुर अकबरपुर अम्बेडकरनगर

अस्थायी पता दाउदपुर अकबरपुर अम्बेडकरनगर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 5/2/2013 समय 3:18PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(हरिश्चन्द्र कुशवाहा)
उपनिबन्धक अकबरपुर
अम्बेडकरनगर
5/2/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह
पुत्र श्री शिव शंकर सिंह
पेशा कृषि
निवासी दाउदपुर अकबरपुर अम्बेडकरनगर

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री प्रेमचन्द्र वर्मा
पुत्र श्री धर्मराज वर्मा
पेशा कृषि
निवासी पसियापारा अकबरपुर अम्बेडकरनगर

व श्री दिनेश कुमार
पुत्र श्री स्व0 बद्री प्रसाद
पेशा वकालत
निवासी भरथपुर गिरन्ट खजावां अम्बेडकरनगर

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

पहचान पत्र प्रस्तुत

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(हरिश्चन्द्र कुशवाहा)
उपनिबन्धक अकबरपुर
अम्बेडकरनगर
5/2/2013

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AA 398204

(4)

14— विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक, प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल, आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

15— विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बना कर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।

16— पुस्तकों, साहित्यिक पत्रों, पाठ्य क्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण आदि करना।

17— सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों सम्मेलन प्रतियोगिताएं, बैठकें विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि को आयोजित कर सकना।

18— सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रिन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।

19— व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, विधि महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।

20— ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनो, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि से सहयोग प्राप्त करना अथवा सहयोग प्रदान करना।

21— विधिसम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना।

22— आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।

23— कृषि उपयोगी कार्य करना एवं उसका प्रचार–प्रसार करना।

Ravindra Kumar Singh

न्यासी

Registration No.: 7 Year: 2,013 Book No.: 4

0101 रवीन्द्र कुमार सिंह

शिव शंकर सिंह

दाउदपुर अकबरपुर अम्बेडकरनगर

कृषि

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 20AA 398205

(5)

24– पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कराना।

25– एड्स के बारे में जन–जागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।

26– पुस्तक/पुस्तिकायें, पत्र–पत्रिकायें, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, संपादित, वितरित एवं विक्री कर सकना।

27– ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

28– पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्संबन्धित आवश्यक व्यवस्था कर सकना।

29– उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन–चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

30– धार्मिक स्थलों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार करना।

31– जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।

32– विभिन्न आयोजनो एवं कार्यो हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार, सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

33– विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजों प्रतिष्ठानो के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।

34– ट्रस्ट के कोष तथा संपदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसको ट्रस्ट के उददेश्य में प्रयोग करना।

Ravindra Kumar Singh.

४१२८
५-०२-२०१३

२०/-

स्टा० नं० ४११०

लाइसेंस नं०

मुजफ्फरपुर जिला

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
बीस रुपये
रु.20
Rs.20
TWENTY RUPEES
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
20AA 398206



35– ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवायें/वस्तुयें लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़न्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का कार्य एवं प्रचार कर सकना।

36– ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

37– ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तरण में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा।

38– किसानो के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लीनिक का निर्माण करना।

39– किसानो के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेतों के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।

40– संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला, प्रदेश, देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।

41– दलित, पिछड़ी, अल्प संख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराईयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना।

42– धरना–प्रदर्शन, कार्यक्रम, गोष्ठी सम्मेलन, सेमीनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन–प्रशासन तक पहुंचाना।

43– शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना।

44– संविधान के तहत मानवाधिकार एवं उसके नियम क्रिया–कलापों के बारे में जानकारी प्रदान करने की कार्य प्रणाली को विकसित करना।

Ravindra Kumar Singh.

[illegible]
स्टाम्प विक्रेता
[illegible]
लाइसेंस नं० - [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AA 398218



45– ट्रस्ट कि विकास एवं संचालित संस्थाओं के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु बैंकों से ऋण लिया जा सकता है।

46– संस्था द्वारा सकलित समस्त चल–अचल सम्पत्ति ट्रस्ट की मानी जायेगी।

47– केन्द्र सरकार अथवा प्रदेष सरकार द्वारा संचालित समस्त सरकारी, गैरसरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन प्राप्त करके सुनिष्चित कराना।

48– ट्रस्ट के विकासश्के लिए केन्द्र एवं प्रदेष सरकार से अनुदान के रूप में धन प्राप्त करके उनकी मंषा के अनुरूप कार्य सम्पन्न कराना।

**2–प्रारम्भिक उपबन्ध–**

1– वर्तमान में ट्रस्टडीड के पंजीकृत के दिनांक से रवीन्द्र कुमार सिंह जो कि न्यासकर्ता एवं न्यास विलेख के रचयिता भी हैं, को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।

2– वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकते हैं ।

**3–मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण–**

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा । कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्षन प्राप्त किया जा सकता है ।

Ravindra Kumar Singh,

२०७

११२८ / ०५-०२-२०१३

स्टा० नं० ११२० विक्रय

रामसागर

राम सागर वर्मा

लाइसेंस नं०

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AA 398208



4–बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज–

1– यह कि मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार–विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं।

2– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय इसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्यावधि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बतांये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

3– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।

4– यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको कि मैनेजिंग/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5– यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतः मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है, इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय मान्य एवं अन्तिम होगा।

6– यह कि मैनेजिंग/ट्रस्टी अध्यक्ष जब उचित समझे तो ट्रस्ट के हित में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ा/घटा सकता है ।

7– बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। तीन वर्ष के पश्चात् पुर्नगठित किया जायेगा।

Ravindra Kumar Singh.

२०)

२१२६
०५-०२-२०१३

२१२०

स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं.- 2

सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AA 398209



8— यह कि संस्थान के सदस्यगण के मृत्यु के उपरान्त उनके स्थान पर उनके पुत्रों में ज्येष्ठता के क्रम में सदस्य होंगे ।

9— द्वारिका सिंह शिक्षण—प्रशिक्षण एवं सेवा संस्थान के सदस्यगण निम्न हैं :—

| क्र0 सं0 | नाम | पिता / पति का नाम | पता | पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह | श्री शिवशंकर सिंह | ग्राम व पो0 दाउदपुर, अम्बेडकरनगर | अध्यक्ष |
| 2 | श्री वीरेन्द्र सिंह | श्री शिवशंकर सिंह | ग्राम व पो0 दाउदपुर, अम्बेडकरनगर | सचिव |
| 3 | श्री सुरेन्द्र सिंह | श्री शिवशंकर सिंह | ग्राम व पो0 दाउदपुर, अम्बेडकरनगर | उपसचिव |
| 4 | श्री शिवशंकर सिंह | श्री सन्तबक्स सिंह | ग्राम व पो0 दाउदपुर, अम्बेडकरनगर | सदस्य |
| 5 | श्री महेन्द्र पाल सिंह | श्री मृत्युंजय बक्श सिंह | ग्राम—अकबरपुर,पो0 खजुरी जिला बाराबंकी | सदस्य |
| 6 | श्रीमती नीतू सिंह | श्री दिनेश प्रताप सिंह | ग्राम—कसनहीं पो0 सेउरा (गुलजारगंज) जिला जौनपुर | सदस्य |

**5—अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधायें—**

1— यह कि अध्यक्ष / ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को

Ravindra Kumar Singh.

207

3920
04-07-2023

क्रमांक 3920

रामसागर

राम सागर शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
तह० राजनांदगांव - नगर
लाइसेंस नं०- 2068

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AA 398219



सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

6– **कार्यक्षेत्र–**

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा तथा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

7– **मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष का विशेषाधिकार :–**

मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप करके निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दे । मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा–निर्देश दे सकता है, जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा ।

8– **सचिव/उपसचिवों की नियुक्ति :–**

1– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के दिन–प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा ।

2– यह कि सचिव/उपसचिव के वेतन भत्ते, सुविधाएं, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

3– यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक, विधिक/अनुशासनात्मक, प्रशासनात्मक कार्यवाही

Ravindra Kumar Singh.

११२५/०५-०२-२०२३

२०७

स्टा० नं० २१२० दिनांक

रामसागर

राम सागर वर्मा

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AA 398211



कर सकता है अथवा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

9—उपाध्यक्ष की नियुक्ति :—

1— मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम् दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा ।

2— यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों वेतन भत्ते, सुविधाओं का कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे ।.

3— यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे । मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक, अनुशासनात्मक, प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकता है।

10—अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :—

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकारों एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे:—

Ravindra Kumar Singh.

२९३०/०५-०२-२०१३

१०)

(लेख्य = २१२०)

रामसागर

राम सागर वर्मा
स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं०

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 20AA 398212

(12)

1– बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना ।

2– ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देखरेख करने के लिए उपाध्यक्ष, सचिव एवं उपसचिवों की नियुक्ति करना ।

3– इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

**11–उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना, परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता ।

**12–सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है । ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार होंगे :–

Ravindra Kumar Singh.

२०)

११३१
०५-०२-२०१३

स्टा० नं० ३१५०

श्याम सहाय

श्याम सहाय शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
मु० [illegible]
लाइसेंस नं०-- 281

[illegible] जिला [illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 20AA 398213

(13)

1— ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना ।

2— ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्य कलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को नियंत्रण रखना ।

3— ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक, प्रशासनात्मक कार्यवाही करना ।

4— विभिन्न कार्य कलापों के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभाग/केन्द्रों/सस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन करना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों/पदाधिकारियों आदि को संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम उपनियम बना सकना।

5— ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जॉच हेतु निर्णायक नियुक्ति कर सकना।

6— एक से अधिक विशेष कार्यअधिकारी नियुक्ति होने की दशा में कार्य विभाजन कर सकना ।

Ravindra Kumar Singh

२०५

२१३२
०५-०२-२०७३

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 20AA 398214



7– प्रचार,प्रसार, मुद्रण, प्रकाशन, वितरण, विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

8– जन सामान्य के कल्याण हेतु विभिन्न आयोजन करना ।

13–उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1– सचिव के अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।

2– सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त हो ।

3– सचिव द्वारा लिखित रूप से दिये गये कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

14–बैंक एकाउन्ट–

1– ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।

Ramchandra (Cumar Singh.

21 32

२०/

दि० ०१-१२-२०२०

राम शंकर

राम शंकर शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
तह० ... नगर
लाइसेंस नं.-- 282

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AA 398215



2– ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/ कार्यक्रम ईकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं उसे संचालित किया जा सकता है। इन स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है।

15–विधिक कार्यवाही–

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

16–सम्पत्ति सम्बन्धी–

1– ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है। जो कि एक नागरिक /व्यक्ति को प्राप्त होंते है।

2– ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई भी निर्णय लेने/लेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

Ravindra Kumar Singh

२०१

२१३४/०५-०२-२०१३

लाइ० नं०: २७२०

राम सागर शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
मु० मुजफ्फरपुर - [illegible]
लाइसेंस नं०— 251

मुजफ्फरपुर जिला

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 20AA 398216



3– ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख–विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

4– ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय कर सकता है। रेहन रख सकता है। किराये पर दे सकता है। ले सकता है।

5– ट्रस्ट किसी से ऋण दान उपहार आग्रह भेट सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है।

6– ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है। किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि को किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

7– चल/अचल सम्पत्ति को प्रत्याभूत भाड़ा क्रय अनुज्ञप्ति बन्धक भारिती गिरवी, विभाजित आदि का सकता है/ले सकता है। दे सकता है।

17–विशेष :–

क– इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम, उपनियम बनाये जा सकते हैं, परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट

Ravindra Kumar Singh.

राम सागर वर्मा
स्टाम्प वि०
मु० मकबरा- ... नं०
लाइसेंस नं०- ...

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
बीस रुपये
रु.20
Rs.20
TWENTY RUPEES
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
20AA 398217



द्वारिका सिंह शिक्षण प्रशिक्षण एवं सेवा संस्थान के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम या उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

ख– अध्यक्ष/ ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्टडीड के किसी/किन्हीं प्राविधानो को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानो के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी । इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। द्वारिका सिंह शिक्षण–प्रशिक्षण एवं सेवा संस्थान के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा

Ravindra Kumar Singh.

20

2139
05-09-2013

क्रम सं० 2190

रामसागर


राम सागर वर्मा
स्टाम्प विक्र
मु० मकसूदपुर - ... नग०
लाइसेंस नं०-- 251

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 भारत TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 73AB 298991



अधिनियमित घोषित स्वीकृत आत्मर्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थित में हस्ताक्षर कर दिये गये। इति दिनांक 05–02–2013 ई0

टाइपकर्ता / ड्राफ्टकर्ता सतीश श्रीवास्तव एडवोकेट अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।

सतीश कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट
पंजीयन सं. 1960/20
अकबरपुर

05.2.013

साक्षीगण :–

Ravindra Kumar Singh

साक्षी नं0 1–

हस्ताक्षर– Prem Chandra Verma

पता S/o धर्मराज वर्मा ग्राम पसियापारा परगना बहु अकबरपुर, अम्बे०

साक्षी नं0 2–

हस्ताक्षर– दिनेश कुमार पुत्र स्व० ब्रिजराज

पता निवासी ग्राम - अरजपुर मि०२ थाना - रुस्तम जिला - अम्बेडकरनगर

रवीन्द्र कुमार सिंह

न्यासकर्ता / संस्थापक / अध्यक्ष

द्वारिका सिंह शिक्षण–प्रशिक्षण एवं सेवा संस्थान, दाउदपुर, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।

राम सागर वर्मा
स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं० - 202

INDIA NON JUDICIAL

आज दिनांक **05/02/2013** को

बही सं. **4** जिल्द सं. **24**

पृष्ठ सं. **137** से **172** पर कमांक **7**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(हरिश्चन्द्र कुशवाहा)
उपनिबन्धक अकबरपुर
अम्बेडकरनगर
5/2/2013

IV 11/13 8

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

76

संशोधन पत्र स्टाम्प कीमती २००) =

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 20AA 415478

Ravindra

29.2.2013

न्यासविलेख दिनांक 05-02-2013 द्वारिका सिंह-

शिक्षण-प्रशिक्षण एवं सेवा संस्थान जिसका द्वारा न्यासकर्ता / संस्थापक रवीन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री शिवशंकर सिंह निवासी

Ravindra Kumar Singh.

| | |
|---|---|
| गा० उमेशचन्द्र श्रीवास्तव | गा० राजकुमार श्रीवास्तव |
| पु० स्व० लल्लन लाल श्री०- | पु० श्री गनपत सहाय श्री०- |
| निवासी ग्राम व पो०- करतेारा - | ग्राम - गोरसरा - |
| परगना व त०- अकबरपुर | परगना - अलदेमऊ |
| जनपद - अम्बेडकर नगर | तहसील - कादीपुर |
| | जिला - सुल्तानपुर - |

90

2233 रवीन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री शिवशंकर सिंह निवासी-
28.02.2013 ग्राम व पोस्ट दाउदपुर परगना व तहसील अकबरपुर-
जिला अम्बेडकरनगर वास्ते संशोधन पत्र

राजकुमार श्रीवास्तव

राज कुमार श्रीवास्तव
स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस नम्बर 91
उप निबन्धक कार्यालय अकबरपुर
जनपद- अम्बेडकर नगर

2

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

ग्राम व पो० रउदपुर परगना व त० अकबरपुर जिला-अम्बेडकर नगर जिसका

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 20AA 415474

-पंजीयन उप निबन्धक कार्यालय अकबरपुर जनपद-अम्बेडकर-
-नगर मे दिनाँक 05-02-2013 को बही सं. 04 जिल्द सं. 24 पृष्ठ-
संख्या 137 से 172 पर क्रमाँक 07 पर रजिस्ट्रीकृत हुआ है-
में पृष्ठ नौ के सदस्यों की सूची मे श्री अमरेन्द्र बहादुर-
-सिंह पुत्र श्री शिवशंकर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट-
दाउदपुर जनपद अम्बेडकर नगर के आगे पद के
स्थान पर अध्यक्ष तहरीर हो गया है जो कि-
लेखन की त्रुटि है पद मे अध्यक्ष के स्थान-
पर शब्द उपाध्यक्ष सही है। अध्यक्ष के स्थान-
पर शब्द उपाध्यक्ष का संशोधन किया जा रहा-

Ravindra Kumar Singh

२०)

२२३४ शा० नं. २२३३

२८.०२.२०१३

राजकुमार श्रीवास्तव

राज कुमार श्रीवास्तव
स्टाम्प विक्रेता लाइसेन्स नम्बर 91
उप निबन्धक कार्यालय अकबरपुर
जनपद- अम्बेडकर नगर

तिलिम्मा -यास पत्र

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 30 | 130.00 | 1,200 |
| फीस रजिस्ट्री | नकल व प्रति शुल्क | योग | शब्द लगभग |

न्यास की राशि
श्री रवीन्द्र कुमार सिंह Ravindra Kumar Singh
पुत्र श्री शिव शंकर सिंह
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी दाउदपुर अकबरपुर अम्बेडकरनगर
अस्थायी पता दाउदपुर अकबरपुर अम्बेडकरनगर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 28/2/2013 समय 3:40PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(हरिश्चन्द्र कुशवाहा)
उपनिबन्धक अकबरपुर
अम्बेडकरनगर
28/2/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह Ravindra Kumar Sh
पुत्र श्री शिव शंकर सिंह
पेशा कृषि
निवासी दाउदपुर अकबरपुर अम्बेडकरनगर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री उमेशचन्द्र श्रीवास्तव उमेश चन्द्र श्रीवास्तव
पुत्र श्री स्व0 लल्लनलाल श्रीवास्तव
पेशा कृषि
निवासी करतोरा अकबरपुर अम्बेडकरनगर

व श्री राज कुमार श्रीवास्तव राजकुमार श्रीवास्तव
पुत्र श्री गनपत सहाय
पेशा कृषि
निवासी गोरसरा अल्देमऊ कादीपुर सुल्तानपुर

ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।
पहचान पत्र प्रस्तुत

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(हरिश्चन्द्र कुशवाहा)
उपनिबन्धक अकबरपुर
अम्बेडकरनगर
28/2/2013

3

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AA 415475

है। अब अध्यक्ष के स्थान पर शब्द उपाध्यक्ष-
हीपदा लिखा जाये व प्रयोग व उपयोग में-
लाया जाये। लिहाजा यह —

Ravindra Kumar Singh

२०)

2235

28.02.2013

शा०नं. 2233

राजकुमार श्रीवास्तव

राज कुमार श्रीवास्तव
स्टाम्प विक्रेता लाइसेन्स नम्बर 91
न्यायी निबन्धक कार्यालय अकबरपुर
जनपद- अम्बेडकर नगर

Registration No.: 11 Year : 2,013 Book No. : 4

0101 रवीन्द्र कुमार सिंह

शिव शंकर सिंह

दाउदपुर अकबरपुर अम्बेडकरनगर

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AA 415477

संशोधन-पत्र लिख दिया कि सनद-
रहे व समय पर काम आवे-
नोट:- पन्ना एक के सतर ३ में शब्द जिसका कटा है-
इति दिनांक २८ फरवरी सन् २०१३ ई०-

Ravindra Kumar Singh

20)

2236 शा०नं. 2233

28.02.2013

राजकुमार श्रीवास्तव

राज कुमार श्रीवास्तव

स्टाम्प [illegible] 91

उप निबन्धक [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AA 415482

बकलम उमेश चन्द्र श्रीवास्तव दस्तावेज लेखक

अकबरपुर जनपद - अम्बेडकर नगर उजरत 20/पान=

Ravindra Kumar Singh

नाम दस्तावेज लेखक उमेश चन्द्र श्रीवास्तव
अनुज्ञप्ति संख्या 2/2000 ई० दिनांक 31/03/2013
निवास तहसील अकबरपुर जिला अम्बेडकर नगर
पारिश्रमिक रुपया ... 20/ ... प्राप्त किया
हस्ताक्षर दस्तावेज लेखक ........ दिनांक 28/02/2013 ई०

२०)

२२३७ शा०न०२२३३

२८.०२.२०१३

राजकुमार श्रीवास्तव

राज कुमार श्रीवास्तव
स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस नम्बर 91
उप निबन्धक कार्यालय अकबरपुर
जनपद अम्बेडकर नगर

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

आज दिनांक **28/02/2013** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **24**

पृष्ठ सं. **235** से **244** पर कमांक **11**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(हरिश्चन्द्र कुशवाहा)
उपनिबन्धक अकबरपुर
अम्बेडकरनगर
28/2/2013